

प्रेस विज्ञप्ति नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023

दिनांक-24.01.2024

- नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 हेतु दिनांक 22.01.2024 को राज्य के 12 जिलों के 16 नगरपालिकाओं में कुल 17 पदों के लिए सफलतापूर्वक मतदान सम्पन्न कराये गये।
- इस मतदान हेतु मतगणना 24.01.2024 को सुबह 08.00 बजे से निर्धारित थी। कुल 16 मतगणना केन्द्र अनुमंडल स्तर पर बनाये गये थे एवं सभी मतगणना केन्द्रों पर वेब कैमरा द्वारा ईवीएम (सी.यू.) से प्राप्त आँकड़ों का रिकार्डिंग भी किया जाना है एवं समस्त प्रक्रिया की वेबकास्टिंग भी की गई।
- नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 में 17 पदों के लिए 84 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें 43 पुरुष एवं 41 महिला उम्मीदवार शामिल थे।
- नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 हेतु मतगणना परिणाम निम्नांकित है:-

पद	मतदान हेतु पदों की संख्या	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	कुल विजेता	विजेता	
				पुरुष	महिला
वार्ड पार्षद	16	67	16	5	11
मुख्य पार्षद	1	17	1	1	0
कुल	17	84	17	6	11

- सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी को नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 से संबंधित मतगणना उपरांत विधिवत् रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों की सूची का गजट प्रकाशन करने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रेषित करने का निदेश आयोग द्वारा दिया गया है।

➤ शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतगणना केन्द्र के लिए की गयी व्यवस्था

✓ डिजिटাইजेशन :-

- मतगणना में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए समस्त मतगणना हॉल, परिसर, वेटिंग रूम एवं स्ट्रॉग रूम का वेबकास्टिंग किया गया था।
- वेब कैमरा द्वारा सभी टेबल पर रखे गये ईवीएम (सी.यू.) से प्राप्त आँकड़ों का रिकार्डिंग एवं वेबकास्टिंग भी की गई।
- समस्त मतगणना प्रक्रिया का वेबकास्टिंग के साथ-साथ **Live Streaming** के माध्यम से प्रखंड/ जिला/आयोग स्तर पर नियंत्रण कक्ष के द्वारा सतत रूप से अनुश्रवण किया गया था।
- मतदाता एवं अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन /एप सुविधा :- कोई भी मतदाता या अभ्यर्थी राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in अंतर्गत मतदाता कॉर्नर एवं अभ्यर्थी कॉर्नर में स्थित "निर्वाचन परिणाम" लिंक के माध्यम से देख सकते हैं।

- ✓ मतगणना केन्द्र पर बलों की प्रतिनियुक्ति :- शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतगणना सम्पन्न कराने के निमित्त विधि व्यवस्था संधारण हेतु सशस्त्र पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी।

24/01/24
विशेष कार्य पदाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

24.1.24